

**न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड**

जमानत आवेदन क्रमांक 216/18

श्रीमती जरीना पत्नी सोहवत खॉ आयु 45 वर्ष  
जाति मुसलमान निवासी समता नगर मालनपुर  
परगना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

-----आवेदिका

**विरुद्ध**

पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म0प्र0

-----अनावेदक

03-07-2018

आवेदक/अभियुक्त श्रीमती जरीना की ओर से श्री एम0एस0 यादव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक/राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

पुलिस थाना मालनपुर से अपराध क्रमांक 72/18 अंतर्गत धारा 328, 506, 34 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

आवेदक की ओर से यह आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 का अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत कर घोषित किया गया है कि यह आवेदक का अग्रिम जमानत हेतु द्वितीय आवेदन पत्र है इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवेदन किसी न्यायालय में प्रस्तुत, लंबित या निराकृत नहीं किया गया, इस संबंध में एवं अधिवक्ता नियुक्ति के संबंध में सोहवत खां पिता रहीम खां आयु 63 वर्ष निवासी समता नगर मालनपुर परगना गोहद जिला भिण्ड, जो कि आवेदक का पति है, ने स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम0एस0 यादव द्वारा द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन पत्र बल नहीं देने के कारण निरस्त हुआ है तथा आवेदक के विरुद्ध झूठी कहानी के आधार पर असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। आवेदक ने पूर्व में दिनांक 23.01.18 को पुलिस अधीक्षक भिण्ड व थाना प्रभारी मालनपुर व डीआईजी चंबल के यहाँ आवेदन पेश किये थे। फरियादी द्वारा आवेदक के खिलाफ अन्य कई बार झूठी रिपोर्ट डाली गई हैं। आवेदक निर्दोष हैं। आवेदक को यदि गिरफ्तार कर लिया तो उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जायेगी। आवेदक अभियोजन साक्ष्य को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगा। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये द्वितीय अग्रिम जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदन पर विचार करते हुये पुलिस

प्रतिवेदन सहित संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे पाया जाता है कि अभियोजन अनुसार फरियादिया समीना की भैंस 2017 में चोरी चली गई थी, जिसकी रिपोर्ट उसने अज्ञात में की थी, फिर उसे पता चला तब उसने सलीम खान, सोवत खान, अजीम खान पर संदेह किया था उसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, फिर सोवत मास्टर, जरीना राजीनामा करने की कहने लगे उसने मना कर दिया तो दिनांक 12.03.18 को सुबह वह दूध लेने गई, तभी पड़ोसी सोवत उसे अपने घर बुलाकर ले गया और वहीं बातचीत के दौरान अभियुक्तगण जरीना, सबीर, सलीम, सौवत द्वारा जहर मिलाकर पानी पीने को दिया जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ गई।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी समीना खान द्वारा रिपोर्ट करने पर पुलिस थाना मालनपुर में आवेदक/अभियुक्त जरीना सह अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 72/18 अंतर्गत धारा 328, 506, 34 भा0दं0सं0 पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक/अभियुक्त सहित अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा पूर्व के आपराधिक प्रकरण में राजीनामा करने हेतु दबाव बनाने के आशय से विष इत्यादि द्वारा फरियादी को उपहति कारित करना बताया गया है, जो कि गंभीर प्रकृति का अपराध है तथा अनुसंधानकर्ता एजेंसी द्वारा जो साक्ष्य संकलित की गई है उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा अन्य साक्ष्य से आक्षेपित कृत्य में आवेदक की प्रथम दृष्टया संलिप्तता दर्शित हो रही है। अग्रिम जमानत के आवेदन पर विचार करते समय प्रकरण के गुणदोषों पर कोई टिप्पणी किए बिना केस डायरी के परिशीलन से इन परिस्थितियों में वर्तमान प्रकरण इस स्वरूप का नहीं है कि, आवेदक के पक्ष में अग्रिम प्रतिभूति प्रदान किए जाने संबंधी असाधारण क्षेत्राधिकार का लाभ दिया जाये।

अतएव उक्त समस्त के आलोक में आवेदक/अभियुक्त जरीना की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से निरस्त किया जाता है।

आदेश की सत्य प्रतिलिपि सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(सतीश कुमार गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद, जिला भिण्ड

22.06.18

आवेदक/अभियुक्त पक्ष की ओर से श्री गब्बर सिंह गुर्जर अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन क्रमांक 214/18 के निराकरण में पारित आदेश दिनांक 20.06.18 में पंक्ति क्रमांक 5 में टंकण त्रुटि के कारण पुलिस थाना गोहद के अप0क्र0 141/18 के स्थान पर 141/17 टंकित हो गया है। अतः त्रुटि सुधार किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रतिलिपि ए.जी.पी. को प्रदान किये जाने पर उन्होंने भी उपरोक्तानुसार सहवन से टंकण त्रुटि हो जाना बताया है।

संबंधित इस प्रकरण पत्रावली के अवलोकन से भी पाया जाता है

कि सहवन से टंकण त्रुटिवश जमानत आवेदन क्रमांक 214/18 के निराकरण में पारित आदेश दिनांक 20.06.18 की पक्ति क्रमांक 5 में अपराध क्रमांक 141/18 के स्थान पर 141/17 अंकित हो गया है।

अतः उक्त संबंध में आवेदन पत्र स्वीकार कर त्रुटि सुधार करते हुये यह उल्लेखित किया जाता है कि उक्त आदेश दिनांक 20.06.18 के पक्ति क्रमांक 5 में अपराध क्रमांक "141/17" के स्थान पर 141/18 न्यायहित में पढा जावे और इस आदेश को उक्त आदेश दिनांक 20.06.18 का अभिन्न अंग समझा जावे।

प्रकरण पूर्ववत दाखिल रिकॉर्ड हो।

1/4lrh'k dqekj

xqlrk<sup>1/2</sup>

izFke vij l=

U;k;k/kh'k

xksgn] ftyk

fHk.M

कारि हेतु प्र हेतु  
धिक उपयोग हेतु

सामान्य जानकारी हेतु प्रति  
विधिक उपयोग हेतु